**न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज (जू0डि0)/ बांदा।**

मूलवाद संख्या 401/2022
सरजू प्रसाद बनाम विमला।

**दिनांक 23.02.2024**

पत्रावली आदेशार्थ नियत की गयी। पूर्व में उभयपक्षों को सुना जा चुका है। पत्रावली निस्तारण वाद बिन्दु सं0 02 व 03 हेतु नियत है।

**निस्तारण वाद बिन्दु सं0 02**

वाद बिन्दु सं0 02 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी अल्पमूल्यांकित है?

उक्त तथ्य को सिद्ध करने का भार प्रतिवादिनी पर है। वादी ने प्रस्तुत दावे का मूल्यांकन विवादित आ0 नि0 जिसका वार्षिक लगान रुपये 17.95 पैसे की तीस गुना मु0 544/रुपये पर कायम की है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादिया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या तर्क पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि दावे का मूल्यांकन कम हो।

तद्नुसार वादबिंदु सं0 02 नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

**निस्तारण वाद बिन्दु सं0 03**

वाद बिन्दु सं0 03 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उक्त तथ्य को सिद्ध करने का भार प्रतिवादिया पर है। न्यायालय बावत 1/4 भाग पर अपना हिस्सा मु0 136/– रुपये के 1/5 भा पर न्यायालय शुल्क कीमत मु0 28./ रुपये वास्ते बैनामा मंसूखी अदा की गयी है, प्रतिवादिया की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य सिद्ध हो सके। इस सम्बन्ध में वाद बिन्दु संख्या 02 के बावत वाद बिन्दु निस्तारित किया गया है, अतः इस दशा मे वादी द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क पर्याप्त पाया जाता है।

तद्नुसार वाद बिन्दु सं–03 नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

उभयपक्ष गवाहान सूची दाखिल करें। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 05.04.2024 को पेश हो।

(अर्पिता साहू)
द्वितीय अपर सिविल जज (जू0डि0)
बांदा।

Digitally signed by Arpita Sahu
Date: 2024.02.23 17:09:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court